

21/11/22

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, विमल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
आईन्दा दिनांक 21/11/22 को पेश हो।

05/01/23

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, विमल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
आईन्दा दिनांक 05/01/23 को पेश हो।

10/2

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी
दीगज कार्यों में व्यस्त है, विमल इत्यादि
होकर पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
आईन्दा दिनांक 10/3/23 को पेश हो।

10/3/23

आदि व्यवसाय इत्यादि में होने के कारण पत्रावली
आईन्दा दिनांक 24/3/23 को पेश हो।

24/03/23

पत्रावली पेश हुई। पीठाधीन अधिकारी अजय कुमार में होने
के कारण पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/03/23 को पेश हो।

27/03/23

पत्रावली पेश हुई। आर्ची वकील उपर। आर्ची वकील ने निवेदन
किया कि उपरोक्त अनवान का आवेदन पत्र न्यायालय में
विधायीन का जो न्यायालय द्वारा दिनांक 26.08.2022 को
वकील आर्चीगिण व आर्चीगिण द्वारा न्यायालय में उप. नहीं
होने की वजह से आवेदन पत्र को अदम पैरवी व अदम हाजरी
में शामिल कर दिया गया। दिनांक 26/08/22 को हमारे वकील अन्य
न्यायालयों में दौगर कार्यों में व्यस्त होने की वजह से उक्त
उत्तर की तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने की वजह से
उक्त उत्तर को अदम पैरवी व अदम हाजरी में शामिल कर
दिया गया। आज से 4-5 दिन पहले जब आर्चीगिण आदेश
आये तब अपने वकील से संपर्क कर उक्त पत्रावली की
जॉब पड़ल की तो उन्हें बात हुआ कि उक्त पत्रावली दिनांक

10/03/22
कर दी गई
बनिर रहे।
को नहीं दी,
अंदर भेजा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

26/08/22 को अदम पुरवी व अदम हाजरी में श्वास्ति
कर दी गई। प्राचीन पेनी दर पेनी अदालत में
शामिल रहे। तथा तिसी वकील की गलती की सजा पत्रकार
को नहीं दी जा सकती है- प्राचीन व प्राचीन पत्र
अदर आमद लीकार फरमाया जाडर आवेदन पत्र पुनः
बरापद तिसे जाने व आवेदन फरमाया जावे।
प्राचीन वकील द्वारा उल्लूत प्राचीन पत्र को श्वास्ति
में लीकार तिसा जाला है। पत्रावली को पुनः बरापद
करने के आवेदन दिये जाते हैं। पत्रावली फिल्लुफार
वेतन वारिकल दफ्तर हो।

